


19.7.23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी कृद्विबन्ता अनुपस्थित।  
पत्रावली का मूलवाद निस्तारित हो जाने से इस प्रार्थना  
पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। प्रार्थना पत्र  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सत्र  
इजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार डेकर नम्बर  
से कम है।

  
प्रर्णा वर्मा  
IAS  
उपखण्ड अधिकारी  
गिरा, उदयपुर